# विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम

**( 1987 का अधिनियम संख्याक 39 )**

[11 अक्टूबर, 1987]

विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिये एक अधिनियम, जो समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय सुरक्षित करने के लिए अवसर, आर्थिक या अन्य अयोग्यता के आधार पर किसी नागरिक को अस्वीकृत नहीं करता, ओर यह सुनिश्चित करने के लिए लोक आदलतों का गठन, कि विधिक प्रणाली का कार्य समान अवसर के आधार पर न्याय की वृद्धि करना है।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 1

## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ होना.** - (1) इस अधिनियम को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 पुकारा जा सकेगा।

(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत पर प्रवृत होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध से अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है।

**2. परिभाषाएँ.** - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''**मामले**'' में न्यायालय के समक्ष वाद या कोई कार्यवाही शामिल है;

(कक)''**केन्द्रीय प्राधिकरण**'' से धारा 3 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ककक) ''**न्यायालय**'' से सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कार्यों को प्रयुक्त करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत गठित किसी अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण को सम्मिलित किया जाता है;

(ख) ''**जिला प्राधिकरण**'' से धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(खख) ''**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**'' से धारा 8-क के अन्तर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''**विधिक सेवा**'' में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही को करने में किसी सेवा को प्रदान करना और किसी विधिक मामले पर सलाह प्रदान करना सम्मिलित है;

(घ) ''**लोक अदालत**'' से अध्याय 6 के अन्तर्गत बनाई लोक अदालत अभिप्रेत है;

(ङ) ''**अधिसूचना**'' से राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) ''**निर्धारित**'' से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित अभिप्रेत है;

(चच) ''**विनियमनों**'' से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(छ) ''**योजना**'' से इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई योजना अभिप्रेत है;

(ज) ''**राज्य प्राधिकरण**'' से धारा 6 के अन्तर्गत गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) ''**राज्य सरकार**'' में संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा नियुक्त संघ क्षेत्र का प्रशासक सम्मिलित है;

(ञ) ''**उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति**'' से धारा 3-क के अन्तर्गत गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

(ट) ''**तालुक विधिक सेवा समिति**'' से धारा 11-क के अन्तर्गत गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

(2) किसी अन्य अधिनियमिति के लिए इस अधिनियम में निर्देश या उसके किसी प्रावधान की व्याख्या, एक क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें वह अधिनियमित या प्रावधान प्रवृत्त नहीं हो, तत्स्थायी विधि के रूप में या उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थायी विधि से सम्बन्धित प्रावधानों, यदि कोई हो, के रूप में की जायेगी।

अध्याय - 2

## राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

**3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन.**- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण को निर्दिष्ट या पर प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में पुकारे जाने वाले निकाय का गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे,

(क) भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो प्रभारी-संरक्षक होगा;

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यवाहक चैरमेन होग; और

(ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उन अर्हताओं और अनुभव को रखने वाले, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, इतनी संख्या में अन्य सदस्य।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमैन के अन्तर्गत उन कर्त्तव्यों को पूर्ण करने और उन शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए उन अर्हताओं और अनुभव को रखने वाले, जिन्हें उस सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जैसा उस सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, या उस प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमैन द्वारा उसे निर्धारित किया जाये।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्ते वे होंगी, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जितने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, कन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।

(6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

(7) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और पेंशन सहित केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को भारत के संयुक्त निधि से किया जायेगा।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सदस्य-सचिव या उस प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमेन द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि या किसी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

**3-क उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति.**- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण उन शक्तियों और कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के नाम से पुकारे जाने वाली समिति का गठन करेगी, जैसा केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जावे।

(2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे,

(क) उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, जो चैयरमेन होगा; और

(ख) उन अनुभव और अर्हताओं को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, रखने वाले उतनी संख्या में अन्य सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगे।

(3) भारत का मुख्य न्यायाधीश उन अनुभव और अर्हताओं को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, रखने वाले व्यक्ति को समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें वे होंगी, जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जाये।

(5) अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए समिति उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जितने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केन्द्रीय सरकार निर्धारित करें।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होगी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

**4. केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्य**.- केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों में से सभी या किन्हीं कार्यों को पूर्ण करेगा, अर्थात्:.

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अत्यधिक प्रभावी और मितव्ययी योजनाओं का समायोजन;

(ग) राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को निधियों के उपयुक्त बंटवारे को करना और इसके निपटारे पर निधियों का प्रयोग करना;

(घ) समाज के कमजोर वर्गों के लिए उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या किसी अन्य विशेष कार्य के सम्बन्ध में सामाजिक न्यायिक जागृति के जरिये आवश्यक कदमों को उठाना और इस प्रयोजन के लिए विधिक योग्यताओं में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सिद्धहस्त करना;

(ङ) लोक अदालतों के जरिये विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनके अधिकारों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करने के प्रयोजन के साथ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी या श्रमिक बस्तियों में विधिक सहायता शिविरों को आयोजित करना;

(च) परक्राम्यों, माध्यस्थ और सुलह के जरिये विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना;

(छ) गरीब के मध्य उन सेवाओं के लिए आवश्यकता के लिए विशेष निर्देश के साथ विधिक सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;

(ज) संविधान के भाग 4-क के अन्तर्गत नागरिकों के आधारभूत अधिकारों की सुपुर्दगी को सुनिश्चित कराने के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक कार्यों को करना;

(झ) समयकालिक अन्तरालों पर विधिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को निगरानी और मूल्यांकित करना और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: क्रियान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं के स्वतन्त्र मूल्यांकन के लिए व्यवस्था करना;

(ञ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इसके निपटारे पर प्रस्तुत राशियों में से विभिन्न स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं और राज्य और जिला प्राधिकरणों को विशेष योजनाओं के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करना;

(ट) क्लिनिकल विधिक शिक्षा के लिए भारत के बार कौंसिल की सलाह से कार्यक्रमों को विकसित करना और पथप्रदर्शकों को बढ़ाना और स्थापना का अधीक्षण करना और विश्वविद्यालयों, विधि कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लिनिकों के कार्य का अधीक्षण करना;

(ठ) जनता के बीच में विधिक शिक्षा और विधिक सतर्कता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों को करना और विशिष्टत: प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा सुरक्षित किये अधिकारों, हितों और विशेषाधिकारों के बारे में समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करना;

(ड) ग्रास रूट स्तर पर कार्य कर रहे, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और शहरी और ग्रामीण श्रमिकों के मध्य, स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं के समर्थन को सूचीबद्ध करने के लिए विशेष प्रयास करना;

(ढ़) राज्य प्राधिकारणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां, तालुक विधिक सेवा समितियां और स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यों को समन्वय और निगरानी करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन के लिए साधारण निर्देशों को देना।

**5. केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अधिकरणों के साथ समन्वय में कार्य करना**.- इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को पूर्ण करने में, केन्द्रीय प्राधिकरण, जहाँ उपयुक्त हो, गरीबों को विधिक सेवाओं को देने के कारण की वृद्धि करने के कार्य में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी अधिकरणों, विश्वविद्यालय और अन्य के सहयोग में कार्य करेगा।

अध्याय – 3

## राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

**6. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन**.– (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण को निर्दिष्ट या प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में पुकारे जाने वाले निकाय का गठन करेगी।

(2) राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे.

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो प्रभारी – संरक्षक होगा;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यवाहक चैयरमैन होगा; और

(ग) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले और उन अर्हताओं और अनुभव को रखने वाले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, इतनी संख्या में अन्य सदस्य।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में, जिला न्यायाधीश की उस रेंक से कम नहीं, राज्य उच्च न्यायिक सेवा से सम्बन्धित राज्य प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमेन के नीचे रहकर उन कर्तव्यों को पूर्ण करने और उन शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जैसा उस सरकार द्वारा निर्धारित किया जावें, या उस प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमेन द्वारा उसे निर्धारित किया जाये।

**परन्तु** राज्य प्राधिकरण के गठन की तिथि से तुरन्त पहले राज्य विधिक सहायता और सलाह मण्डल के सचिव के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में पांच वर्षों की अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, चाहे यदि वह इस उप–धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने के लिए वह अर्हताधारी नहीं हो।

(4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य–सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्ते वे होगी, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए राज्य प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार निर्धारित करे।

(6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होंगे, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

(7) राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और पेंशन सहित राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को राज्य की संयुक्त निधि से किया जायेगा।

(8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सदस्य-सचिव या राज्य प्राधिकरण के कार्यवाहक चैयरमेन द्वारा या सम्यक् रूप से अधिकृत राज्य प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(9) राज्य प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल राज्य प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि या किसी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

**7. राज्य प्राधिकरण के कार्य.**- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को प्रभाव देना राज्य प्राधिकरण का कर्त्तव्य होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों में से सभी या किन्हीं कार्यों को पूर्ण करेगा, अर्थात्:.

(क) व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपादित आधार को सन्तुष्ट किया;

(ख) उच्च न्यायालय मामलों के लिए लोक अदालतों सहित लोक अदालतें आयोजित करना;

(ग) विधिक सहायता कार्यक्रमों की सुरक्षात्मक और युद्धनीतिक व्यवस्था करना; और

(घ) उन अन्य कार्यों को करना, जिन्हें राज्य प्राधिकरण विनियमनों द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण की सलाह से नियत करे।

**8. राज्य अधिकरण का केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य अधिकरणों इत्यादि के साथ समन्वय में कार्य होगा**.- अपने कार्यों को पूर्ण करने में, राज्य प्राधिकरण, गरीबों को विधिक सेवाओं को देने के कारण की वृद्धि करने के कार्य में लगे अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी, स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के सहयोग में उपयुक्त रूप से कार्य करेगा और उन निर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित किया जायेगा, जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण इसे लिखित में दे।

**8-क. उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति.**- (1) राज्य प्राधिकरण उन शक्तियों और कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के नाम से पुकारे जाने वाली समिति का गठन करेगी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और प्रयुक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु, जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जावे।

(2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, जो चैयरमेन होगा; और

(ख) उस अनुभव और अर्हताओं को, जिन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, रखने वाले उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उन अनुभव और अर्हताओं को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, रखने वाले को समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें वे होंगी, जिन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जाये।

(5) अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए समिति उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकती है, जितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार निर्धारित करे।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होंगे, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

**9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**.- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण को निर्दिष्ट या प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए और शक्तियों को प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक जिले के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में पुकारे जाने वाले निकाय का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे,

(क) जिला न्यायाधीश, जो चैयरमेन होगा;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उन अर्हताओं और अनुभवों को रखने वाले, जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, इतनी संख्या में अन्य सदस्य।

(3) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के सभापति की सलाह से, जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में, जिला न्यायिकी के पद पर कार्यरत अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पद से कम रैंक का नहीं राज्य न्यायिक सेवा से सम्बन्धित, उस समिति के चैयरमेन के नीचे रहकर, उन कर्त्तव्यों को पूर्ण करने और उन शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जैसा उस चैयरमेन द्वारा उसे निर्धारित किया जाये।

(4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें वे होगी, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जावे।

(5) अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए जिला प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार निर्धारित करे।

(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होंगे, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

(7) जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और पेंशन सहित प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को राज्य की संयुक्त निधि से किया जायेगा।

(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सचिव या उस प्राधिकरण के चैयरमेन द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत जिला प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(9) जिला प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल जिला प्राधिकरण के गठन में किसी त्रुटि या किसी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

**10. जिला प्राधिकरण के कार्य**.- (1) जिले में राज्य प्राधिकरण के उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रत्येक जिला प्राधिकरण का कर्त्तव्य होगा, जैसा समय-समय पर राज्य प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों में से सभी या किन्हीं कार्यों को पूर्ण कर सकता है, अर्थात्:.

(क) तालुक विधिक सेवा समिति और जिले में अन्य विधिक सेवा की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना;

(ख) जिले के भीतर लोक अदालतें आयोजित करना; और

(ग) उन उन्य कार्यों को करना, जिन्हें विनियमनों द्वारा राज्य प्राधिकरण नियत करें।

**11. अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करने के लिए जिला प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण इत्यादि द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार होगा**.- इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को पूर्ण करने में, जिला प्राधिकरण, जहाँ उचित हो, गरीबों को विधिक सेवाओं को देने के कारण की वृद्धि करने के कार्य में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के सहयोग में उपयुक्त रूप से कार्य करेगा और उन निदेशों द्वारा भी मार्गदर्शित किया जायेगा, जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण इसे लिखित में दे।

**11-क.तालुक विधिक सेवा समिति.**- प्रत्येक तालुक या मण्डल के लिए या तालुकों के समूह या मण्डलों के समूह के लिए तालुक विधिक सेवा समिति के नाम से पुकारे जाने वाली समिति का गठन राज्य प्राधिकरण कर सकता है।

(2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे.

(क) समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला [1][वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी], जो पदेन चैयरमेन होगा; और

1. विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 37) धारा 2 द्वारा शब्दों 'वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश' के लिए प्रतिस्थापित (11.6.2002 से प्रभावित)।

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उन अनुभव और अर्हताओं को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, रखने वाले इतनी संख्या में अन्य सदस्य।

(3) अपने कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए समिति उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार निर्धारित करे।

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार होंगे, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे।

(5) समिति के प्रशासनिक खर्चों को जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधि सहायता निधि में से किया जायेगा।

**11-ख. तालुक विधिक सहायता समिति के कार्य.**- तालुक विधिक सहायता समिति निम्नलिखित कार्यों में से सभी या किन्हीं कार्यों को करेगी, अर्थात् :-

(क) तालुक में विधिक सहायता की गतिविधियों का समन्वय करना;

(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतें आयोजित करना; और

(ग) उन अन्य कार्यों को पूर्ण करना, जिन्हें जिला प्राधिकरण निर्धारित करे।

अध्याय-4

## विधिक सहायता के हकदार

**12. विधिक सहायता प्रदान करने के लिए.**- प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला दाखिल करना है या प्रतिवाद करना है, इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता के लिए हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति,

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हो;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार अथवा बेगार से पीड़ित रहा हो;

(ग) महिला या बच्चा हो;

(घ) अयोग्यताओं के साथ व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का संख्यांक 1) की धारा 2 के खण्ड (i) में परिभाषित अनुसार अयोग्यता वाला व्यक्ति हो;

(ङ) घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, जातीय नृसंशता, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विपत्ति का आहत होते हुए अनर्जित आवश्यकता की परिस्थितियों के अन्तर्गत व्यक्ति हो;

(च) एक औद्योगिक कर्मकार हो;

(छ) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 104) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर संरक्षक गृह में अभिरक्षा या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का संख्यांक 53) की धारा 2 के खण्ड (ञ) के अर्थ के भीतर किशोर गृह में अभिरक्षा या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर मनोविकार अस्पताल या मनोविकार नर्सिंग होम में अभिरक्षा सहित अभिरक्षा में हो;

(ज) नौ हजार रुपये से कम या ऐसी अन्य अधिक राशि की वार्षिक आय की प्राप्ति करने वाला हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय के समक्ष हो, और बारह हजार से कम या ऐसी अन्य अधिक राशि की वार्षिक आय प्राप्त करने वाला हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो।

**13. विधिक सेवा के हकदार.**- (1) व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं निष्कर्षों को सन्तुष्ट करता हो, विधिक सेवा को प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु सम्बन्धित प्राधिकरण सन्तुष्ट हो कि प्रथम दृष्टया वह व्यक्ति वाद अभियोजित करने या प्रतिवाद करने योग्य हैं।

(2) अपनी आय के लिए व्यक्ति द्वारा दिया गया शपथ-पत्र इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सेवा के हकदार होने के लिए उसे योग्य बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सम्बन्धित किया जा सकेगा, जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकरण के पास उस शपथ-पत्र पर अविश्वास करने का कारण न हो।

अध्याय-5

## वित्त, लेखे और अंकेक्षण

**14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान.**- केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में विधि द्वारा संसद द्वारा किये गये आवश्यक मूल्यांकन के पश्चात् अनुदानों के जरिये केन्द्रीय प्राधिकरण को धन की उतनी राशियों का भुगतान करेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने के लिए उचित समझे।

**15. राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि.**- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से पुकारी जाने वाले निधि की स्थापना करेगा और निम्नलिखित को क्रेडिट करेगा-

(क) धारा 14 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के रूप में दी गई धन की सभी राशियों को;

(ख) किसी अनुदानों या दानों को जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को किया जा सके;

(ग) किसी न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत या किसी अन्य स्रोत से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई राशि।

(2) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि को निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जायेगा,

(क) राज्य प्राधिकरणों को किये गये अनुदानों सहित इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान विधिक सहायता की लागते;

(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदान विधिक सहायता की लागतें;

(ग) कोई अन्य खर्चें, जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किये जाने की आवश्यकता हो।

**16. राज्य विधिक सहायता निधि.**- (1) राज्य प्राधिकरण राज्य विधिक सहायता निधि के नाम से पुकारी जाने वाले निधि की स्थापना करेगा और निम्नलिखित को क्रेडिट करेगा.

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिये गये कोई अनुदान और इसे भुगतान किये धन की सभी राशियां;

(ख) कोई अनुदान या दान जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को राज्य प्राधिकरण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सके;

(ग) किसी न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत या किसी अन्य स्रोत से राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

(2) राज्य विधिक सहायता निधि को निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जायेगा.

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यों की लागते;

(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा प्रदान विधिक सहायता की लागतें;

(ग) कोई अन्य खर्चें, जिन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने की आवश्यकता हो।

**17. जिला विधिक सहायता निधि.**- (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण जिला विधिक सहायता निधि के नाम से पुकारी जाने वाली निधि की स्थापना करेगा और निम्नलिखित को क्रेडिट करेगा.

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला प्राधिकरण को राज्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये कोई अनुदान या भुगतान किये धन की सभी राशियां;

(ख) कोई अनुदान या दान जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी व्यक्ति द्वारा जिला प्राधिकरण को किया जा सके;

(ग) किसी न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत या किसी अन्य स्रोत से जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

(2) जिला विधिक सहायता निधि को निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जायेगा.

(क) धारा 10 और 11-ख में निर्दिष्ट कार्यों की लागतें;

(ख) कोई अन्य खर्चें, जिन्हें जिला प्राधिकरण द्वारा किये जाने की आवश्यकता हो।

**18. लेखे और अंकेक्षण.**- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (एतस्मिन पश्चात् इस धारा में ''प्राधिकरण'' निर्दिष्ट किया जायेगा), जो भी स्थिति हो, उचित खातों और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव करेगा और उस प्रारूप में और उस तरीके में, जिसे भारत के नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल के सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, आय और व्यय खाते और चिट्ठे सहित लेखों के वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरणों के लेखों का भारत के नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल द्वारा उन अन्तरालों में अंकेक्षण किया जायेगा, जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और उस अंकेक्षण के सम्बन्ध में वहन खर्चें सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल को देय होंगे।

(3) भारत का नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण के लेखों का अंकेक्षण करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास वही अधिकार होगा और विशेषाधिकार होंगे जो भारत के नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल के पास सरकारी लेखों के अंकेक्षण के सम्बन्ध में है और, विशिष्टत: इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरणों के किन्हीं कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए पुस्तकों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पेपरों को प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियन्त्रक और ऑडिटर-जनरल या उस पर अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किये अनुसार प्राधिकरणों के लेखों को प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, जो भी स्थिति हो, वार्षिकी भेजे जायेंगे।

(5) केन्द्रीय सरकार उप-धारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा प्राप्त लेखों और अंकेक्षण रिपोर्ट को, इसके प्राप्त होने के यथाशीघ्र पश्चात्, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(6) राज्य सरकार उप-धारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा प्राप्त लेखों और अंकेक्षण रिपोर्ट को, इसके प्राप्त होने के यथाशीघ्र पश्चात्, राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अध्याय-6

## लोक अदालतें

**19. लोक अदालतों का संगठन.**- (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति, जो भी स्थिति हो, उन अन्तरालों और स्थानों

पर और उस अधिकारिता को प्रयोग करने के लिए या उन क्षेत्रों के लिए, जिसे यह उचित समझे, लोक अदालतों को संगठित कर सकता है।

(2) एक क्षेत्र के लिए संगठित प्रत्येक लोक अदालत में निम्नलिखित संख्या में शामिल होंगे–

(क) कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी; और

(ख) अन्य व्यक्ति,

क्षेत्र के लिए, जिसे उन लोक अदालतों का संगठन करने वाले राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा संगठित लोक अदालतों के लिए उप–धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हतायें वे होंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से निर्धारित किया जाये।

(4) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट के अलावा लोक अदालतों के लिए उप–धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हतायें वे होंगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से निर्धारित किया जाये।

(5) लोक अदालत के पास निम्नलिखित के सम्बन्ध में विवाद के पक्षकारों के मध्य समझौता या निपटारा कराने या निर्धारित करने की अधिकारिता होगी–

(i) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला; या

(ii) कोई मामला जो किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर आता हो और किसी न्यायालय के समक्ष न लाया गया हो,

जिसके लिए लोक अदालत को संगठित किया गया :

**परन्तु** किसी विधि के अन्तर्गत संयोजनीय नहीं अपराध से सम्बन्धित मामले या किसी मामले के सम्बन्ध में लोक अदालत के पास अधिकारिता नहीं होगी।

**20. लोक अदालतों द्वारा मामलों को संज्ञेयता.**– (1) जहाँ धारा 19 की उप–धारा (5) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में–

(i) (क) उसके पक्षकार सहमत हो; या

(ख) उसके पक्षकारों में से एक न्यायालय को आवेदन करता है,

निपटारे के लिए लोक अदालत को मामला निर्दिष्ट करने के लिए और यदि वह न्यायालय प्रथम दृष्टतया सन्तुष्ट हो कि ऐसे निपटारे की संभावनायें हैं; या

(ii) न्यायालय सन्तुष्ट हो कि लोक अदालत द्वारा संज्ञेयता लिये जाने के लिए मामला एकदम उपयुक्त है,

तो न्यायालय मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :

**परन्तु** पक्षकारों को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् के अलावा उस न्यायालय द्वारा खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) या खण्ड (ii) के अन्तर्गत कोई भी मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत लोक अदालत का संगठन करने वाला प्राधिकरण या समिति, लोक अदालत द्वारा निर्धारित किये जाने वाले उस मामले के लिए धारा 19 की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के पक्षकारों में से एक के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, उस मामले के निर्धारण के लिए उसे लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :

**परन्तु** कोई भी मामला अन्य पक्षकार को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् के अलावा लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाये या जहाँ उप-धारा (2) के अन्तर्गत इसे निदेश किया जाये, लोक अदालत पक्षकारों के मध्य समझौता या निपटारा करने के लिए और मामले का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, जब इस अधिनियम के अन्तर्गत इसके समक्ष किसी निदेश का निर्धारण कर रहे हो, पक्षकारों के मध्य समझौता या निपटारा करने के लिए अत्यधिक तत्परता से कार्य करेगी और न्याय के सिद्धान्त, न्याय, निष्पक्ष व्यवहार और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।

(5) जहाँ लोक अदालत द्वारा कोई भी पंचाट इस आधार पर नहीं दिया जाये, कि पक्षकारों के मध्य कोई भी निपटारा या समझौता नहीं हुआ, वहाँ मामले के अभिलेख को इसके द्वारा उस न्यायालय को लौटा दिया जायेगा, जिससे विधि की अनुपालना में निपटारे के लिए उप-धारा (1) के अन्तर्गत निदेश को प्राप्त किया गया।

(6) जहाँ लोक अदालत द्वारा कोई भी पंचाट इस आधार पर नहीं दिया जाये, कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले में पक्षकारों के मध्य कोई भी निपटारा या समझौता नहीं किया गया, वहाँ वह लोक अदालत न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के लिए पक्षकारों को सलाह देगी।

(7) जहाँ मामले के अभिलेख को न्यायालय को उप-धारा (5) के अन्तर्गत लौटा दिया जाता है, वहाँ वह न्यायालय उस स्तर से उस मामले के साथ कार्य करने की कार्यवाही करेगा, जिस स्तर पर उप-धारा (1) के अन्तर्गत उस निदेश के समक्ष पहुँचा गया।

**21. लोक अदालत का पंचाट.**- (1) लोक अदालत के प्रत्येक पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के रूप में, जो भी स्थिति हो, मानी जायेगी और जहाँ धारा 20 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इसे निर्दिष्ट मामले में लोक अदालत द्वारा समझौता या निपटारा कराया जाये, वहाँ उस मामले में चुकायी गयी न्यायालय फीस को न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का संख्यांक 7) के अन्तर्गत प्रदान तरीके में लौटायी जायेगी।

(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा और कोई भी अपील पंचाट के विरुद्ध किसी न्यायालय को नहीं की जायेगी।

**22. [1][ लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत ] की शक्तियां.**- (1) [1][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] के पास इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्धारण को करने के प्रयोजनों के लिए, वहीं शक्तियां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में निहित होती है, जब निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण कर रहे हो, अर्थात् :-

(क) किसी गवाह की उपस्थिति को समन करना और प्रवर्तन करना और शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुत करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या उस अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता करना; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले जिन्हें निर्धारित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) में समाविष्ट शक्तियों की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, प्रत्येक [1][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] के पास इसके समक्ष आये किसी विवाद के निर्धारण के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक शक्तियां होगी।

(3) [1][लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का संख्यांक 45) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियों के रूप में माना जायेगा और प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के रूप में माना जायेगा।

---

1. विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम), 2002 (2002 का अधिनियम सं. 37) की धारा 3 द्वारा शब्दों ''लोक अदालत'' के लिये प्रतिस्थापित (11.6.2002) से प्रभावित।

[1][ अध्याय-6-क

## पूर्व-विवाद सुलह और निपटारा

**22-क. परिभाषाएं.**- इस अध्याय में और धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''स्थायी लोक अदालत'' से धारा 22-ख की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है;

(ख) ''लोक उपयोगिता सेवा'' से अभिप्रेत है, कोई.

(i) वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; या

(ii) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; या

(iii) किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति; या

(iv) लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली; या

(v) अस्पताल या डिसपेंसरी में सेवा; या

(vi) बीमा सेवा,

और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, लोक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर सके।

**22-ख. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना.**- (1) धारा 19 में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, जो भी स्थिति हो, अधिसूचना द्वारा उन स्थानों पर एक या अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं के सम्बन्ध में उस अधिकारिता को प्रयोग करने के लिए और उन क्षेत्रों के लिए स्थायी लोक अदालत को स्थापित करेगा, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे.

(क) एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या जिला न्यायाधीश की रैंक से उच्च न्यायिक पद की रैंक को रखता हो, स्थायी लोक अदालत का चैयरमेन होगा; और

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, जो भी स्थिति हो, की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले लोक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति,

1. विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम), 2002 (2002 का अधिनियम सं. 37) की धारा 4 द्वारा अध्याय 6-क अन्त:स्थापित (11.6.2002) से प्रभावित।

उस स्थायी लोक अदालत की स्थापना करने वाले केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और चैयरमेन और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

**22-ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों की संज्ञेयता.**- (1) विवाद का कोई भी पक्षकार, किसी न्यायालय के समक्ष विवाद को लाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है :

**परन्तु** किसी विधि के अन्तर्गत संयोजनीय नहीं अपराध से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में स्थायी लोक अदालत के पास अधिकारिता नहीं होगी :

**परन्तु** और स्थायी लोक अदालत के पास उस मामले में भी अधिकारिता नहीं होगी, जहाँ विवाद में सम्पत्ति का मूल्य **दस लाख रुपये** से अधिक हो :

**परन्तु** यह और भी, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण की सलाह से द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपये की सीमा को बढ़ा सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत को आवेदन करने के पश्चात् उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी न्यायालय की अधिकारिता का प्रतिसंहरण नहीं करेगा।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत को आवेदन किया जाये, तो यह.

(क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को इसके समक्ष लिखित कथन दाखिल करने के लिए निर्देशित करेगा, जिसमें आवेदन के अन्तर्गत विवाद की प्रकृति और तथ्यों को, उस विवाद में बिन्दुओं और विवाद्यकों को और उन बिन्दुओं या विवाद्यकों को जो भी स्थिति हो, समर्थन में या विरोध में विश्वासित आधारों को वर्णित किया जायेगा, और वह पक्षकार उस कथन को किसी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य के साथ जोड़ सकता है, जिन्हें वह पक्षकार उन तथ्यों और आधारों के सबूत में उपयुक्त माने और आवेदन के प्रत्येक पक्षकारों की उस दस्तावेज या अन्य साक्ष्य की प्रति के साथ, यदि कोई हो, उस कथन की प्रति भेजेगा;

(ख) सुलह कार्यवाहियों के किसी स्तर पर इसके समक्ष अतिरिक्त कथन दाखिल करने के लिए आवेदन के किसी पक्षकार को आवश्यकता करना;

(ग) आवेदन के किसी पक्षकार से इसके द्वारा प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को अन्य पक्षकार को संसूचित करना ताकि उसे उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के उस अन्य पक्षकार को समर्थ किया जा सके।

(4) जब कथन, अतिरिक्त कथन और प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को स्थायी लोक अदालत की सन्तुष्टि के लिए उप-धारा (3) के

अन्तर्गत दाखिल किया जाये, तो यह आवेदन के पक्षकारों के मध्य उस तरीके में सुलह कार्यवाहियों को करेगा, जैसा यह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझे।

(5) स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के अन्तर्गत सुलह कार्यवाहियों को करने के दौरान, स्वतन्त्र और बिना पक्षपात के तरीके में विवाद के शीघ्र निपटारे तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास में पक्षकारों की सहायता करेगी।

(6) आवेदन से सम्बन्धित विवाद की सुलह में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भाव से सहयोग के लिए और साक्ष्य और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों को इसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देशों की अनुपालना करने के लिए आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्त्तव्य होगा।

(7) जब उपरोक्त सुलह कार्यवाहियों में स्थायी लोक अदालत की राय हो कि उन कार्यवाहियों में निपटारे के विद्यमान तत्व, जो पक्षकारों द्वारा स्वीकृत योग्य हो सकेंगे, यह विवाद के संभव निपटारेके निबंधनों को विनियमित कर सकता है और उनकी टिप्पणियों के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को दे सकता है और यदि विवाद के निपटारे पर करार पर पक्षकार पहुंच जाये, तो वे निपटारा करार को हस्ताक्षरित करेंगे और स्थायी लोक अदालत उन निबंधनों में पंचाट जारी करेगी और सम्बन्धित प्रत्येक पक्षकारों को उसकी प्रति भेजेगी।

(8) जहाँ पक्षकार उप-धारा (7) के अन्तर्गत करार पर पहुंचने में असफल होते हैं, वहाँ स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से सम्बन्धित नहीं होता, विवाद का निर्धारण करेगी।

**22-घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया.**- स्थायी लोक अदालत, जब इस अधिनियम के अन्तर्गत गुणागुणों पर सुलह कार्यवाहियों को कर रही हो या विवाद का निर्धारण कर रही हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, वास्तविकता, निष्पक्ष व्यवहार, न्याय और न्याय के अन्य सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित की जायेगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का संख्यांक 1) द्वारा बाध्य नहीं होगी।

**22-ङ. स्थायी लोक अदालत का पंचाट अन्तिम होगा.**- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत द्वारा या तो गुणागुण पर या निपटारा करार के निबंधनों में प्रत्येक पंचाट अंतिम होगा और उनके सभी पक्षकारों या उनके अन्तर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्य होगा।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत के प्रत्येक पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट स्थायी लोक अदालत गठित करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

(4) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं बुलाया जायेगा।

(5) स्थायी लोक अदालत इसके द्वारा किये गये किसी पंचाट को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को प्रगमण कर सकती है और वह सिविल न्यायालय आदेश का निष्पादन उस प्रकार करेगा, जिस प्रकार से यदि यह उस न्यायालय द्वारा डिक्री थी।

अध्याय-7

## विविध

**23. प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्य और स्टाफ सेवकों के रूप में होंगे.**- केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधि सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य-सचिव या सचिव, जो भी स्थिति हो, सहित सदस्यों और [1][लोक अदालतों के सदस्यों या स्थायी लोक अदालतों को गठित करने वाले व्यक्तियों] को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवकों के रूप में माना जायेगा।

**24. सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण.**- कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं की जायेगी.

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार;

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण का प्रभारी संरक्षक, कार्यवाहक चैयरमेन, सदस्य, सदस्य-सचिव या अधिकारी या अन्य कर्मचारी;

(ग) राज्य प्राधिकरण का प्रभारी संरक्षक, कार्यवाहक चैयरमेन, सदस्य, सदस्य-सचिव या अधिकारी या अन्य कर्मचारी;

(घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों या जिला प्राधिकरण के चैयरमेन, सचिव, सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी;

(ङ) उप-खण्डों (ख) से (घ) में निर्दिष्ट किसी प्रभारी-संरक्षक, कार्यवाहक चैयरमेन, चैयरमेन, सदस्य, सदस्य-सचिव द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति,

जो इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या विनियमन के प्रावधानों के अन्तर्गत किये गये किसी काम के लिए सद्भाव में किया गया हो या किया जाना आशयित है।

---

1. विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम), 2002 (2002 का अधिनियम सं. 37) की धारा 5 द्वारा शब्दों ''लोक अदालत'' के लिये प्रतिस्थापित (11.6.2002) से प्रभावित।

**25. अधिष्ठायी प्रभाव रखने वाले अधिनियम.**– इस अधिनियम के प्रावधानों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि के प्रभुत्व द्वारा प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उसके साथ कुछ भी असंगत समाविष्ट होने केबावजूद प्रभावी होगा।

**26. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**– (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो केन्द्रीय सरकार, राज–पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं उन प्रावधानों को बना सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या प्रत्यक्ष लगे :

**परन्तु** ऐसा कोई भी आदेश उस तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा, जिस तिथि पर यह अधिनियम अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करता है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत किये गये प्रत्येक आदेश को, इसके किये जाने के यथाशीघ्र पश्चात्, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**27. नियमों को बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति.**– (1) केन्द्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रवृत करने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, ऐसे नियमों को निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं मामलों की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(ख) धारा 3 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य–सचिव का अनुभव और अर्हतायें और उसकी शक्तियां और कार्य;

(ग) धारा 3 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य–सचिव के पद का निबंधन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें;

(घ) धारा 3 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

(ङ) धारा 3 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन और भत्ते;

(च) धारा 3–क की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(छ) धारा 3-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हतायें;

(ज) धारा 3-क की उप-धारा (5) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और इस धारा की उप-धारा (6) के अन्तर्गत उनके सेवा की शर्तें और उनको देय वेतन और भत्ते;

(झ) धारा 12 के खण्ड (ज) के अन्तर्गत विधिक सेवा के लिए उसे हकदार करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय की उच्च सीमा, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो;

(ञ) तरीका जिसमें केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखों को धारा 18 के अन्तर्गत रखा जायेगा;

(ट) धारा 19 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा संगठन लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हतायें;

(ठ) धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत अन्य मामले;

[1][(ठक) धारा 22-ख की उप-धारा (2) के अन्तर्गत चैयरमेन और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें;]

(ड) कोई अन्य मामला, जिसे निर्धारित किया जाये या किया जा सकेगा।

**28. नियमों को बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति.**- (1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को चलाने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, ऐसे नियमों को निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं मामलों की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात् :-

(क) धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(ख) धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कार्य;

(ग) धारा 6 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव के पद का निबंधन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें;

---

1. विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन अधिनियम), 2002 (2002 का अधिनियम सं. 37) की धारा 3 द्वारा शब्दों ''लोक अदालत'' के लिये प्रतिस्थापित (11.6.2002) से प्रभावित।

(घ) धारा 6 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

(ङ) धारा 6 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन और भत्ते;

(च) धारा 8-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों का अनुभव और अर्हतायें;

(छ) धारा 8-क की उप-धारा (5) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और इस धारा की उप-धारा (6) के अन्तर्गत उनके सेवा की शर्तें और उनको देय वेतन और भत्ते;

(ज) धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(झ) धारा 9 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

(ञ) धारा 9 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन और भत्ते;

(ट) धारा 11-क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत तालुक विधिक सेवा समिति की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(ठ) धारा 11-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

(ड) धारा 11-क की उप-धारा (4) के अन्तर्गत तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों सेवा की शर्तें और वेतन और भत्ते;

(ढ) धारा 12 के खण्ड (ज) के अन्तर्गत विधिक सेवा के लिए उसे हकदार करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय की उच्च सीमा, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अलावा न्यायालय के समक्ष हो;

(ण) धारा 19 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट के अलावा लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हतायें;

(त) कोई अन्य मामला, जिसे निर्धारित किया जाये या किया जा सकेगा।

**29. विनियमों को बनाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्ति.**- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा सभी मामलों के लिए व्यवस्था करने हेतु इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है विनियमनों को बना सकता है, जिसके लिए प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या प्रत्यक्ष हो।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, वे विनियमन निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं मामलों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) धारा 3-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की शक्तियां और कार्य;

(ख) धारा 3-क की उप-धारा (4) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव के पद के निबन्धन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें;

**29-क. विनियमों को बनाने के लिए राज्य प्राधिकरण की शक्ति.**- (1) राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा सभी मामलों के लिए व्यवस्था करने हेतु इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है विनियमनों को बना सकता है, जिसके लिए प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या प्रत्यक्ष हो।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता को प्रभावित किये बिना, वे विनियमन निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं मामलों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) धारा 7-क की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य;

(ख) धारा 8-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कार्य;

(ग) धारा 8-क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(घ) धारा 8-क की उप-धारा (4) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और सचिव के पद के निबंधन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें;

(ङ) धारा 9 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव के सेवा के निबंधन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें;

(च) धारा 8-क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें;

(छ) धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य;

(ज) धारा 11-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव के पद के निबंधन और उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें।

**30. नियमों और विनियमनों को अधिकथित करना.**– (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियमन को, इसके बनाये जाने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जायेगी। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि यह सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियमन में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगी, लेकिन उस नियम या विनियमन के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियमन, इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

❖ ❖ ❖

सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज-पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| पौष 29, सोमवार, शाके 1936-जनवरी 19, 2015<br>Pausa 29, Monday, Saka 1936-January 19, 2015 | |

**भाग 4 ( ग )**

**उप-खण्ड (II)**

## राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

### विधि एवं विधिक कार्य विभाग

## अधिसूचना

**जयपुर, दिसम्बर 29, 2014**

**एस.ओ. 236 :-** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 22क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अध्याय VI-क के प्रयोजनार्थ लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को इसके द्वारा, जन उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित करती है, अर्थात :-

(i) बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;

(ii) आवासीय सेवाएं; और

(iii) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवाएं।

**[ संख्या एफ.8( 1 )लॉ-2/2014 ]**

राज्यपाल के आदेश से,

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

❖ ❖ ❖

रजिस्ट्री सं. : डी.एल.-33004/99 Regd. No. : D.L. - 33004/99

# भारत का राजपत्र

# *The Gazette of India*

असाधारण
EXTRAORDINARY

**भाग** II – **खण्ड 3** – **उप-खण्ड** (ii)
Part II – Section 3 – Sub-section (ii)

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 610 ]** **नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936**
No. 610] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

## विधि और न्याय मंत्रालय

**( न्याय विभाग )**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015**

**का.आ. 803( अ ) :-** केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22ग की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 15 सितम्बर, 2011 में, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2083(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विवाद की संपत्ति के मूल्य की सीमा को ''एक करोड़ रुपए तक'' बढ़ाती है।

[फा.सं. ए-60011/37/2004-प्रशा.-III (एल.ए.पी.)-न्या.]

**प्रवीण गर्ग,** संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Justice)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2015

**S.O. 803(E).**-In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 22C of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in supersession of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) notification number S.O. 2083 (E), dated the 15th September, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th September, 2011, the Central Government, in consultation with the Central Authority, hereby increases the limit of the value of the property in dispute for the purpose of determining the jurisdiction of Permanent Lok Adalat to "one crore rupees" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.-III(LAP)-JUS]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy.

*RSLSA* *LSRR*

रजिस्ट्री सं. : डी.एल.-33004/99 Regd. No. : D.L. - 33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# *The Gazette of India*

असाधारण
EXTRAORDINARY

**भाग** II – **खण्ड 3** – **उप-खण्ड** (ii)
Part II – Section 3 – Sub-section (ii)

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 417 ]** **नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937**
No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/MAGHA 27, 1937

## विधि और न्याय मंत्रालय

**( न्याय विभाग )**

## अधिसूचना

**नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016**

**का.आ. 495( अ ) :-** केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-क के खण्ड (ख) के अनुसरण में लोकहित में निम्नलिखित सेवाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जन उपयोग सेवाएं घोषित करती है अर्थात् :-

(क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों या

(ख) आवास और भू-संपदा सेवा।

[फा.सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन-III (एल.ए.पी.)-जेयूएस]

**अतुल कौशिक**, संयुक्त सचिव

❖ ❖ ❖